



नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | गुरुवार, 25 फरवरी 2021 | www.delhi.nbt.in

'सिंगल पैरेंट के डॉक्यूमेंट पर भी एडमिशन'

■ मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मुझे जानना है कि क्या मैं EWS/OBC/SC कोटा जनरल फॉर्म के साथ भी भर सकता हूँ? - अनिल शर्मा

75% ओपन सीट के साथ ऐसा कोई कोटा नहीं होता है। बाकी 25% सीटें EWS/DG कैटेगरी की होती हैं। इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय इस कैटेगरी के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी करेगा। बाकी आप ओपन सीट और EWS/DG सीट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

■ क्या एडमिशन फॉर्म में पिता के बारे में जानकारी देना जरूरी है? मैं सेपरेशन पीरियड में हूँ और अपने पैरेंट्स के साथ रह रही हूँ। बच्चे के पिता दूसरे राज्य में हैं और मेरे पास उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। - शिखा राजपूत

आप इसे लेकर केस की कॉपी के साथ एक ऐप्लिकेशन दे सकती हैं। आप बच्चे के पिता का नाम फॉर्म में लिख सकती हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं हैं। किसी एक पैरेंट के डॉक्यूमेंट से एडमिशन प्रोसेस की जा सकती है।

■ EWS/DG के लिए भी फॉर्म की



एक्सपर्ट : रुमा पाठक
एम. एम. पब्लिक
स्कूल, पीतमपुरा

नर्सरी एडमिशन पर पूछे सवाल

नर्सरी एडमिशन को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, तो आप हमें ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए हम एक्सपर्ट से पूछकर उनके जवाब एनबीटी में प्रकाशित करेंगे

हमें ईमेल कर जान सकते हैं जवाब
nbttdilli@gmail.com पर ईमेल कर आप एडमिशन से जुड़े अपने सवाल भेजें और subject में लिखें- nursery admission

लास्ट डेट 4 मार्च है? - मनीष

ओपन सीट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 मार्च है। EWS/DG कैटेगरी की 25% सीटों के लिए अभी एडमिशन शेड्यूल और गाइडलाइंस नहीं आए हैं।

■ मेरा बेटा अगस्त में 6 साल का हो जाएगा। नर्सरी ओर केजी उसने कर

ली है। उसे यूकेजी या क्लास 1 में एडमिशन दिलवाएं? - ललित शर्मा

उम्र के हिसाब से आप बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन दिलवाएं।

■ मेरी भतीजी को डीजी कैटेगरी में ओबीसी से एडमिशन कराना है। उसका ओबीसी सर्टिफिकेट अभी

■ क्या उम्र में छूट केजी के लिए भी है? अगर हां, तो यह सर्कुलर कहाँ मिलेगा? - हरीश

नर्सरी के अलावा एज लिमिट में 30 दिन की छूट केजी और क्लास 1 के लिए भी है। इसका सर्कुलर शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट edudel.nic.in पर है।

■ मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 26/3/2018 है। क्या उसका एडमिशन नर्सरी में अगले साल हो पाएगा? क्या एडमिशन के लिए आधार कार्ड जरूरी है या फिर सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट काफी है?

- गुलशन रोहिल्ला
आपका बेटा इसी साल नर्सरी में एडमिशन ले सकता है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। आधार कार्ड जरूरी नहीं है मगर कई स्कूल एडमिशन के वक्त मांगते हैं इसलिए बनवा लें।

बना नहीं है। क्या उसकी बड़ी बहन के ओबीसी सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं? पिता की मौत हो चुकी है। आपको बच्चे का ही ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अभी EWS/DG का शेड्यूल नहीं आया है। अभी आपके पास वक्त है, इसे जल्द से जल्द बनवा लें। अगर वक्त पर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है तो पिता का ओबीसी सर्टिफिकेट लगा दें।